न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 213/2024

तारीख रजू:– 21.11.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. शिवराम पुत्र श्री हरचन्दी जाति जाट निवासी क्यारदा कला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ——————————सायल

बनाम

1.	धूप सिंह पुत्र राधेश्याम	समी जाति जाटव
2.	अशोक पुत्र अमरसिंह	निवासी क्यारदा कला तहसील हिण्डौन

3. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट सायल

2. श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट गैरसायल सं01,2

निर्णय

दिनांक :– 06.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायलान एवम मूल वाद के प्रतिवादीगण सं. 3 ता 34 के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी वाद.पत्र बाबत तकास्मा एवम स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय अदालत में पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 18 नया के आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 41 ऐयर, 264 रकबा 47 ऐयर, 299 रकबा 14 ऐयर, 300 रकबा 35 ऐयर, 316 रकबा 8 ऐयर, 317 रकबा 5 ऐयर, 318 रकबा 4 ऐयर, 383 रकबा 3 ऐयर, 384 रकबा 3 ऐयर, 385 रकबा 6 ऐयर, 392 रकबा 19 ऐयर, 406 रकबा 11 ऐयर, 407 रकबा 13 ऐयर, 409 रकबा 10 ऐयर, 410

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 12 ऐयर, 411 रकबा 19 ऐयर, 412 रकबा 11 ऐयर, 416 रकबा 13 ऐयर, 417 रकबा 12 ऐयर, 420 रकबा 12 ऐयर, 421 रकबा 10 ऐयर, 431 रकबा 17 ऐयर, 432 रकबा 16 ऐयर, 438 रकबा 11 ऐयर, 439 रकबा 11 ऐयर, 440 रकबा 26 ऐयर, 450 रकवा 22 ऐयर, 455 रकबा 55 ऐयर, 456 रकबा 2 ऐयर, 457 रकबा 44 ऐयर, 458 रकबा 34 ऐयर, 464 रकबा 36 ऐयर, 470 रकबा 20 ऐयर, 475 रकबा 6 ऐयर, 476 रकबा 13 ऐयर, 481 रकबा 5 ऐयर, 482 रकबा 12 ऐयर, 488 रकबा 26 ऐयर, 489 रकबा 13 ऐयर, 490 रकबा 12 ऐयर, 605 रकबा 25 ऐयर, 606 रकबा 2 ऐयर, 608 रकबा 30 ऐयर, 609 रकबा 22 ऐयर, 613 रकबा 21 ऐयर, कुल किता 49 कुल रकबा 8.9100 हेक्टेयर वाके ग्राम पट्टी नारायणपुर क्यारदा कला तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें कि सायल 1/12 हिस्ते का कशतेदार काश्तकार है, तथा गैरसायलान तथा मूल वाद के प्रतिवादीगण सं. 3 ता 34 सहखातेदारान है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 284 के नया आराजी खसरा नम्वर 619 रकबा 40 ऐयर, 620 रकबा 28 ऐयर, 621 रकबा 19 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर वाके ग्राम पटटी नारायणपुर क्यारदाकला तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें सायल I/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात भूमिका सायल व गैरसायलान नं० 1 व 2 तथा मूल वाद के प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी रूप से बंटबारा नहीं हुआ है, बल्कि बाहमी बटवारा कर रखा है, गैरसायलान एवम मूल वाद के प्रतिवादीगण ने सायल को कम उपजाउ वाली जमीन दे रखी है जो कि सायल के हिस्से से कम भी है, जबकि गैरसायलान ने उपजाउ व कीमती जमीन ले रखी है, सायल ने गैरसायलान से उक्त आराजीयात भूमि का लीगल बंटवारा करने के लिये कई बार कहा लेकिन गैरसायल सं. 1 व 2 राजी नहीं है, क्योंकि गैरसायल सं. 1 व 2 बदमाश किस्म के व्यक्ति है कि जो कि जानबूझकर सायल के हिस्से की भूमि का बंटवारा नहीं करना चाहते है तथा गैरसायलान नं० 1 व 2 उक्त आराजीयात भूमि का बिना बंटवारा के उसमें बाउण्ड्री कर पुख्ता निर्माण करना चाहते है, बिना सरकार या ग्राम पंचायत की मंजूरी के कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

को अकृषि में परिवर्तित करना चाहते है। इस प्रकार सायल का प्राईमापेशी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि दिनांक 09.11.2024 को गैरसायलान नं 1 व 2 उक्त आराजीयात भूमि में पक्का निर्माण करने के लिये पत्थर डाल रहे थे तो सायल ने गैरसायल नम्वर 1 व 2 से मना किया कि बिना विधिवत बंटवारा के उत्त आराजीयात भूमि में पक्का निर्माण मत करो तो गैरसायलान नं० 1 व 2 सायलान को मारने पीटने पर उतारू हो गये। सायल ने पाँच गणमान्य व्यक्तियों को एकत्रित कर गैरसायल नं. 1 व 2 को काफी हाथा जोडी कर समझाने की कोशिश की लेकिन गैरसायल सं० 1 व 2 अपनी नापाक हरकतों ते बाज नहीं आये।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि यदि उक्त आराजीयात भूमि का कानूनन बंटवारा नही हुआ और गैरसायल नं. 1 व 2 अपने नापाक इकरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय हानि हो जावेगी, जिसकी पूर्ति करना किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी. आई. पाबंद किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है, यदि पाबंद नहीं किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किती प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायल नम्वर 1 व 2 सायल को आराजीयात मुताजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थाना पत्र खसरा नम्वर 260, 264, 299, 300, 316, 317, 318, 383, 384, 385, 392, 406, 409, 410, 411, 412, 416, 417, 420, 421, 431, 432, 438, 439, 440, 450, 455, 456, 457, 458, 464, 470, 475, 476, 481, 482, 488, 489, 490, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 कुल किता 49 कुल रकबा 8.91 हेक्टेयर वाके ग्राम पट्टी नारायणपुर तहसील हिण्डौन में सायल के 1/12 हिस्से तथा मद नं. 3

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र खसरा नम्वर 619, 620, 621 कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर वाके गाम पट्टी नारायणपुर क्यारदा कला तहसील हिण्डौन में सायल के 1/12 हिस्ते की भूमि को सायल को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे बिना विधिवत बंटबारा के रहन वय नहीं करे, कृषि ते अकृषि में परिवर्तित नहीं करे, सालय के हिस्ते की भूमि में जबरन कोई बाउण्ड्री कर पुख्ता निर्माण नहीं करें तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिसमें हकूक सायल को कोई क्षति पहुंचती हो। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाएं रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं02 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 में उपरोक्त प्रार्थना पत्र इस सम्मानीय अदालत में पेश करना स्वीकार है जिसमें सायल को सफलता मिलने की लेशमात्र भी संभावना नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 में वर्णित आराजी खाता सं. 18, कुल खसरा 49, कुल रकबा 8.91 हैक्टेयर पट्टीनारायणपुर, तन क्यारदाकलां, तहसील हिण्डौन सिटी में होना स्वीकार है जिसमें गैरसायल सं. 2 अशोक 1/24 हिस्से का खातेदार है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 में वर्णित खाता सं. 284 कुल किता 3, कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर ग्राम पट्टीनारायणपुर, तहसील हिण्डौन सिटी में होना स्वीकार है जिसमें गैरसायल सं. 2 अशोक 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है, उक्त भूमि के बाबत् गैरसायल सं. 2 द्वारा पूर्व में बंटवारे का दावा उक्त आराजी सहित अन्य आराजी के बाबत् उनमानी अशोक बनाम अजयसिंह कर रखा है जिसमें सायल शिवराम भी खातेदार है तथा अन्य आराजी में शिवराम खातेदार है, उन आराजी को सायल ने उक्त दावा व प्रार्थना पत्र में शामिल नहीं किया है। उक्त आराजी का बाहमी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बंटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज व दखील है तथा गैरसायल सं. 2 अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रहा है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 गलत है, अस्वीकार है, तथाकथित तारीख 09.11.2024 एकदम गलत व मनगढन्त अंकित की है। इस मद में सायल द्वारा कथन एकदम गलत व मनगढन्त अंकित की है। गैरसायल सं. 2 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 में गलत है, अस्वीकार है, सायल द्वारा महज दो खातों का दावा प्रस्तुत किया है जबकि इन आराजीयों पर सायल काबिज नही है, सायल के हिस्से की आराजी जिस पर सायल काबिज है, प्रार्थना पत्र में शामिल ही नहीं किया है तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न कहाँ उत्पन्न होता है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 में गलत है, अस्वीकार है। सायल का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है, जब सायल उक्त खातों के किसी हिस्से पर काबिज नहीं है तो उसको अपूर्तनीय क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है बल्कि गैरसायल सं. 2 को पाबन्द किया जाता है तो वह अपने हिस्से व कब्जे की आराजी से महरूम हो जायेगा तथा गैरसायल सं. 2 को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा समस्त मैटेरियल फैक्टस को छुपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है जो चलने योग्य नही है व खारिज होने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि गैरसालय सं. 2 का अपने हिस्से की आराजी पर कब्जेकाश्त का ईल्म सालय को भली भाँति रहा है, इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज होने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि आराजी खाता सं. 18, खसरा नं. 284 ग्राम पट्टीनारायणपुरए तन क्यारदाकलां के किसी भी हिस्से पर सायल का कब्जा नहीं है जिन खातों पर कब्जा है उसे दावे व प्रार्थना पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

शामिल नहीं किया है, उस विना पर दावा मय प्रार्थना पत्र हाजा चलने योग्य नहीं है, खारिज होने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि गैरसायलान सहखातेदार हैं तथा सहखातेदारान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है, इस विना पर दावा मय प्रार्थना पत्र हाजा चलने योग्य नहीं है, खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

गैरसायल सं01 बाद तामील उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध कतई गलत एवम झूठा दावा पेश करना स्वीकार है जिसमें सायल को सफलता का कोई चान्स भी नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 18 कुल किता 49 कुल रकबा 8.91 हेक्टेयर पट्टी नारायणपुर, क्यारदाकला तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है, जिसमें गैरसायल नम्बर 1 वहिस्सा 1/48 हिस्सा का खातेदार है।

यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 3 में वर्णित आराजी खाता संख्या 284 कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर ग्राम पट्टीनारायणपुर क्यारदाकला तहसील हिण्डौन में होना स्वीकार है, जिसमें गैरसायल नम्बर 1 वहिस्सा 1/48 का हिस्सा का खातेदार काश्तकार हैं

यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 4 गलत है, अस्वीकार है। उक्त भूमि के बाबत गैरसायल संख्या 2 अशोक द्वारा पूर्व में बंटवारे का दावा उक्त आराजी खाता संख्या 18, 284 सहित अन्य आराजी के बाबत व उनमानी अशोक बनाम अजय सिंह कर रखा है जिसमें सायल शिवराम भी खातेदार है तथा अन्य आराजी में भी शिवराम खातेदार है, उन आराजी को सायल ने उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में शामिल नहीं किया है, उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा कर रखा है, तथा अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज व दखील है, तथा गैरसायल सं०1 अपने हिस्से को उपयोग कर रहा है। गैरवायल सं०1 अपने हिस्से में छप्परपोश

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

व टीन घर बनाकर गाँव से अपने खेतों में निवास कई सालों से करता चला आ रहा है सायल के दिल दिमाग में बदयांति आने के कारण तथा रोड साईड की आराजी की कीमत हो जाने के कारण सायल ने गैरसायल का छप्परपोश घर दिनांक 11.01.2025 की रात्रि में जला दिया जिसकी एफ आई आर संख्या 46/2025 थाना नईमण्डी हिण्डौन में दर्ज करा दिया है जिसकी सत्य प्रतिलिपी संलग्न है।

यहकि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 गलत है, अस्वीकार है। तथाकथित तारीख दिनांक 09.11.2024 एकदम गलत मनगढन्त अंकित की है, गैरसायल नम्बर 1 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 गलत है, अस्वीकार है। सायल द्वारा महज 2 खातों का दावा प्रस्तुत किया गया है, जबकि इन आराजी पर सायल काबिज नहीं है, सायल के हिस्से की आराजी जिस पर सायल काबिज है दावे में शामिल ही नहीं किया है तो सायल को अपूर्तनीय द्वाति होने का प्रश्न ही नहीं है।

यह कि प्रार्थाना पत्र का मदनम्वर 7 गलत है, अस्वीकार है। सायल का प्राईमापेशी केस साबित नहीं है, जब उक्त खातों के किसी भी हिस्से पर काबिज नहीं है तो उसको अपूर्तनीय क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है, बल्कि गैरसायल नम्बर 1 को पाबंद किया जाता है तो वह अपने हिस्से कब्जे की आराजी से महरूम हो जावेगा तथा गैरतायल सं. 1 को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

उज्रात मजीद

यह कि प्रार्थना पत्र का गैरसायल सं० 1 अपने हिस्से की आराजी पर कब्जे काश्त का इल्म सायल को भली भांति रहा है, इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि सायल द्वारा समस्त मेटेरियल फेक्टस को छुपाते हुये गलत तथ्यों के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है जो कि चलने योग्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोन सिटी (करोली)

यह कि आराजी खाता संख्या 18, 234 ग्राम पट्टी नारायणपुर क्यारदाकला के किसी भी हिस्से पर सायल का कब्जा नही है, जिन खाते पर कब्जा है, उसे दावे व प्रार्थना पत्र में शामिल नहीं किया है, उस बिना पर दावा मय प्रार्थना पत्र हाजा चलने योग्य नहीं है।

यह कि गैरसायलान सह खातेदार है, तथा सह खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है, इस बिना पर दावा मय दर० चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि उपरोक्त आराजी के बाबत गैरसायल नं. 2 अशोक के द्वारा पूर्व में बंटवारे का दावा उक्त आराजी खाता संख्या 18, 284 सहित अन्य आराजी के बाबत व उनमानी अशोक बनाम अजयसिंह कर रखा है, जिसमें सायल शिवराम भी खातेदार है, तथा उक्त आराजी में भी शिवराम खातेदार है उन आराजी में भी शिवराम खातेदार है, उन आराजी को सायल ने उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में शामिल नहीं किया है, उक्त आराजी का बाहमी बंटबारा कर रखा है, तथा अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज व दखील है, तथा गैरसायल अपने हिस्से को उपयोग उपभोग कर रहा है, गैरसायल सं. 1 अपने हिस्से में छप्पर पोश व टीन घर बनाकर गाँव से अपने खेतों में निवास कई सालों से करता चला आ रहा है सायल के दिल में व दिमाग में बदयांति आने के कारण तथा रोड साईड की आराजी की कीमत हो जाने के कारण सायल ने गैरसायल का छप्पर पोश घर दिए 11.01.2025 की रात्रि को जला दिया जिसकी एफ आई आर सं० 46/2025 थाना नईमण्डी हिण्डौन में दर्ज करा दिया है जितकी सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैरसायल नं. 1 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 किता 2 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकदमा नं. 35/2024 उनवानी अशोक व अन्य बनाम अजयसिंह व अन्य दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 28.07.2025 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 0.41 है0, 264 रकबा 0.47 है0, 299 रकबा 0.14 है0, 300 रकबा 0.35 है0, 316 रकबा 0.08 है0, 317 रकबा 0.05 है0, 318 रकबा 0.04 है0, 383 रकबा 0.03 है0, 384 रकबा 0.03 है0, 385 रकबा 0.06 है0, 392 रकबा 0.19 है0, 406 रकबा 0.11 है0, 407 रकबा 0.13 है0, 409 रकबा 0.10 है0, 410 रकबा 0.12 है0, 411 रकबा 0.19 है0, 412 रकबा 0.11 है0, 416 रकबा 0.13 है0, 417 रकबा 0.12 है0, 420 रकबा 0.12 है0, 421 रकबा 0.10 है0, 431 रकबा 0.17 है0, 432 रकबा 0.16 है0, 438 रकबा 0.11 है0, 439 रकबा 0.11 है0, 440 रकबा 0.26 है0, 450 रकबा 0.22 है0, 455 रकबा 0.55 है0, 456 रकबा 0.02 है0, 457 रकबा 0.44 है0, 458 रकबा 0.34 है0, 464 रकबा 0.36 है0, 470 रकबा 0.20 है0, 475 रकबा 0.06 है0, 476 रकबा 0.13 है0, 481 रकबा 0.05 है0, 482 रकबा 0.12 है0, 488 रकबा 0.26 है0, 489 रकबा 0.13 है0, 490 रकबा 0.12 है0, 605 रकबा 0.25 है0, 606 रकबा 0.19 है0, 607 रकबा 0.02 है0, 608 रकबा 0.30 है0, 609 रकबा 0.40 है0, 610 रकबा 0.41 है0, 611 रकबा 0.02 है0, 612 रकबा 0.22 है0, 613 रकबा 0.21 कुल किता 49 कुल रकवा 8.91 है० वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में सायल हि0 1/12 एवं गैरसायल सं01 हि0 1/48 भाग, गैरसायल सं02 हि0 1/24 भाग, के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं.1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकदमा नं. 35/2024 उनवानी अशोक व अन्य बनाम अजयसिंह व अन्य दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 28.07.2025 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रति के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 260 रकबा 0.41 है0, 264 रकबा 0.47 है0, 299 रकबा 0.14 है0, 300 रकबा 0.35 है0, 316 रकबा 0.08 है0, 317 रकबा 0.05 है0, 318 रकबा 0.04 है0, 383 रकबा 0.03 है0, 384 रकबा 0.03 है0, 385 रकबा 0.06 है0, 392 रकबा 0.19 है0, 406 रकबा 0.11 है0, 407 रकबा 0.13 है0, 409 रकबा 0.10 है0, 410 रकबा 0.12 है0, 411 रकबा 0.19 है0, 412 रकबा 0.11 है0, 416 रकबा 0.13 है0, 417 रकबा 0.12 है0, 420 रकबा 0.12 है0, 421 रकबा 0.10 है0, 431 रकबा 0.17 है0, 432 रकबा 0.16 है0, 438 रकबा 0.11 है0, 439 रकबा 0.11 है0, 440 रकबा 0.26 है0, 450 रकबा 0.22 है0, 455 रकबा 0.55 है0, 456 रकबा 0.02 है0, 457 रकबा 0.44 है0, 458 रकबा 0.34 है0, 464 रकबा 0.36 है0, 470 रकबा 0.20 है0, 475 रकबा 0.06 है0, 476 रकबा 0.13 है0, 481 रकबा 0.05 है0, 482 रकबा 0.12 है0, 488 रकबा 0.26 है0, 489 रकबा 0.13 है0, 490 रकबा 0.12 है0, 605 रकबा 0.25 है0, 606 रकबा 0.19 है0, 607 रकबा 0.02 है0, 608 रकबा 0.30 है0, 609 रकबा 0.40 है0, 610 रकबा 0.41 है0, 611 रकबा 0.02 है0, 612 रकबा 0.22 है0, 613 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में वादी सं01 हि0 1/24 एवं वादी सं02 हि0 1/24 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये हैं तथा शेष हिस्से के प्रतिवादीगण मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार रहेंगे। तहसीलदार तहसील हिण्डौन को 5000/—रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये हैं कि आप उक्त विवादित आराजीयात के मौके पर पहुँचकर उक्त आराजीयात का पक्षकारान के उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त को मद्देनजर रखते हुए विधिवत रूप से अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार तहसील हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उक्त प्रकरण में सायल का नाम प्रतिवादी सं0 53 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकदमा नं. 35/2024 उनवानी अशोक व अन्य बनाम अजयसिंह व अन्य दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 28.07.2025 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति के अनुसार विवादित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजीयात खसरा नम्बर 260 रकबा 0.41 है0, 264 रकबा 0.47 है0, 299 रकबा 0.14 है0, 300 रकबा 0.35 है0, 316 रकबा 0.08 है0, 317 रकबा 0.05 है0, 318 रकबा 0.04 है0, 383 रकबा 0.03 है0, 384 रकबा 0.03 है0, 385 रकबा 0.06 है0, 392 रकबा 0.19 है0, 406 रकबा 0.11 है0, 407 रकबा 0.13 है0, 409 रकबा 0.10 है0, 410 रकबा 0.12 है0, 411 रकबा 0.19 है0, 412 रकबा 0.11 है0, 416 रकबा 0.13 है0, 417 रकबा 0.12 है0, 420 रकबा 0.12 है0, 421 रकबा 0.10 है0, 431 रकबा 0.17 है0, 432 रकबा 0.16 है0, 438 रकबा 0.11 है0, 439 रकबा 0.11 है0, 440 रकबा 0.26 है0, 450 रकबा 0.22 है0, 455 रकबा 0.55 है0, 456 रकबा 0.02 है0, 457 रकबा 0.44 है0, 458 रकबा 0.34 है0, 464 रकबा 0.36 है0, 470 रकबा 0.20 है0, 475 रकबा 0.06 है0, 476 रकबा 0.13 है0, 481 रकबा 0. 05 है0, 482 रकबा 0.12 है0, 488 रकबा 0.26 है0, 489 रकबा 0.13 है0, 490 रकबा 0.12 है0, 605 रकबा 0.25 है0, 606 रकबा 0.19 है0, 607 रकबा 0.02 है0, 608 रकबा 0.30 है0, 609 रकबा 0.40 है0, 610 रकबा 0.41 है0, 611 रकबा 0. 02 है0, 612 रकबा 0.22 है0, 613 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में वादी सं01 हि0 1/24 एवं वादी सं02 हि0 1/24 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये हैं तथा शेष हिस्से के प्रतिवादीगण मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार रहेंगे। तहसीलदार तहसील हिण्डौन को 5000/—रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये हैं कि आप उक्त विवादित आराजीयात के मौके पर पहुँचकर उक्त आराजीयात का पक्षकारान के उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त को मद्देनजर रखते हुए विधिवत रूप से अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार तहसील हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उक्त प्रकरण में सायल का नाम प्रतिवादी सं0 53 पर दर्ज है। जब इसी विवादित आराजीयात का दावा इसी न्यायालय से पूर्व में प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। सायल के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूत के आधार पर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैसायल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सं0 1 व 2 के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 0.41 है0, 264 रकबा 0.47 है0, 299 रकबा 0.14 है0, 300 रकबा 0.35 है0, 316 रकबा 0.08 है0, 317 रकबा 0.05 है0, 318 रकबा 0.04 है0, 383 रकबा 0.03 है0, 384 रकबा 0.03 है0, 385 रकबा 0.06 है0, 392 रकबा 0.19 है0, 406 रकबा 0.11 है0, 407 रकबा 0.13 है0, 409 रकबा 0.10 है0, 410 रकबा 0.12 है0, 411 रकबा 0.19 है0, 412 रकबा 0.11 है0, 416 रकबा 0.13 है0, 417 रकबा 0.12 है0, 420 रकबा 0.12 है0, 421 रकबा 0.10 है0, 431 रकबा 0.17 है0, 432 रकबा 0.16 है0, 438 रकबा 0.11 है0, 439 रकबा 0.11 है0, 440 रकबा 0.26 है0, 450 रकबा 0.22 है0, 455 रकबा 0.55 है0, 456 रकबा 0.02 है0, 457 रकबा 0.44 है0, 458 रकबा 0.34 है0, 464 रकबा 0.36 है0, 470 रकबा 0.20 है0, 475 रकबा 0.06 है0, 476 रकबा 0.13 है0, 481 रकबा 0.05 है0, 482 रकबा 0.12 है0, 488 रकबा 0.26 है0, 489 रकबा 0.13 है0, 490 रकबा 0.12 है0, 605 रकबा 0.25 है0, 606 रकबा 0.19 है0, 607 रकबा 0.02 है0, 608 रकबा 0.30 है0, 609 रकबा 0.40 है0, 610 रकबा 0.41 है0, 611 रकबा 0.02 है0, 612 रकबा 0.22 है0, 613 रकबा 0.21 कुल किता 49 कुल रकवा 8.91 है० वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली